कार्यालय अधीक्षक (भू-अभिलेख) जिला शिवपुरी

क्रमांक/ 1331 /भू.अ./रा.नि./स्वामित्व/2022 शिवपुरी, दिनांक 13.12.22

प्रति,

तहसीलदार/नायव तहसीलदार
तहसील समस्त
जिला शिवपुरी

विषय - प्रथम प्रारूप नक्शे पुन: वापस करने बाबत।

संदर्भ - सर्वे आफ इंडिया जवलपुर का पत्र क्रमाक 7562/44-M-LSM दिनांक 08.12.2022

विषयांतर्गत सदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। सदर्भित पत्र में SOI द्वारा जिले से प्राप्त नक्शो में निम्नांकित त्रुटिया बताई गई है।

1. नक्शो में ग्राम की आबादी का सत्यापन पटवारी द्वारा फील्ड में ठीक से नही किया गया है तथा उन्हे शीट पर भी नही दर्शाया गया है।
2. कुछ नक्शो में "लाल डोरा" को ही सत्य आबादी मानकर फील्ड में सत्यापन ना करते हुये लाल डोरे के अनुसार ही सपंत्ति का निर्धारण किया गया है। जवकि लाल डोरा आबादी सीमा की आकृति को दर्शाता है ना की आबादी सीमा को एवं लाल डोरा पूर्ण रूप से सही नही है पटवारी द्वारा लाल डोरा का सत्यापन कराना अत्यंत आवश्यक है।
3. कुछ नक्शो में किये गये संशोधनों को संशोधन सूची में सही तरीके से दर्ज नही किया गया है। जिससे संशोधन करने में त्रुटि होने की संभावना है।
4. कुछ नक्शो में आबादी सीमा के नजदीक रिक्त प्रोपर्टी के संबंध में निर्देश नही दिये गये है जबकि प्रत्येक रिक्त स्थान के अंदर नम्बर दिया जाना या अन्य प्लाट में संयोजित किया जाना है।

अत: आप स्वामित्व योजना अंतर्गत प्रारूप नक्शो में पटवारियो से भौतिक सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित तथा साथ ही नक्शो में हुये संशोधन की संशोधन सूची सहित SOI जबलपुर भेजने का कष्ट करे।

संलग्न - सदर्भित पत्र एंव चेकलिस्ट

अधीक्षक भू-अभिलेख
जिला शिवपुरी

पृ. क्रमांक/ 1331 /भू.अ./रा.नि./स्वामित्व/2022 शिवपुरी, दिनांक 13.12.22

प्रतिलिपि-

1. अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग-समस्त जिला शिवपुरी की ओर सादर सूचनार्थ।

अधीक्षक भू-अभिलेख
जिला शिवपुरी

\\172.18.41.24\Desktop\vivid\aawadi survey\svamitva\svamitva.docx

Scanned with CamScanner

e.1012934

कलेक्टोरेट शिवपुरी
शाखा......S.L.R
12 DEC 2022

भारत सरकार/GOVT. OF INDIA
भारतीय सर्वेक्षण विभाग/SURVEY OF INDIA
निदेशक का कार्यालय/Office of Director
मध्य प्रदेश भू-स्थानिक आँकड़ा केंद्र
Madhya Pradesh Geo-Spatial Data Centre
'सर्वेक्षण सदन'/'Sarvekshan Sadan'
एस.बी.आई. चौक, विजयनगर/SBI Chowk, Vijaynagar
जबलपुर - 482002 (म.प्र.)/Jabalpur – 482002 (M.P.)
फोन/फैक्स Phone/Fax 0761-2643182
ईमेल/E-mail: mp.gdc.soi@gov.in

सत्यमेव जयते

सं. त./ No. T-7562/44-M-LSM(MP)   दिनांक / Date:- 08 /12/2022

प्रति,

जिलाधीश महोदय,

जिला:- शिवपुरी (मध्य प्रदेश)

विषय:- **प्रथम प्रारूप नक्शे पुनः वापस करने बाबत ।**

जिला शिवपुरी के पटवारी के द्वारा नक्शे इस कार्यालय को संशोधन हेतु प्राप्त हुए हैं उक्त नक्शों की जांच करने पर पाया गया कि अधिकांश गांवों की आबादी सीमा का सत्यापन फील्ड में ठीक तरह से नहीं किया गया है तथा उन्हें शीट पर दर्शाया भी नहीं गया है इसी प्रकार कुछ नक्शो में " लाल डोरा " को ही सत्य आबादी सीमा मानकर फील्ड में सत्यापन ना करके उसके अनुसार ही संपति का निर्धारण कर दिया गया है जो कि अनुचित है क्योंकि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा विशेष नोट में यह दर्शाया गया है कि "लाल डोरा" आबादी सीमा के आकार को दर्शाता है, ना की आबादी सीमा को एवं लालडोरा पूर्ण रूप से सही नहीं है, अतः इसका सत्यापन करना आवश्यक है । इसी प्रकार कई नक्शों में दर्शाए गए संशोधन सूची में सही तरीके से दर्ज नहीं है जिससे संशोधन को करने में त्रुटि होने की संभावना है जाँच करने पर यह पाया गया हैं कि कई नक्शो में आबादी सीमा के नजदीक के रिक्त प्रापर्टी के बारे में किसी भी प्रकार के निर्देश प्रदान नहीं किये गए है जबकि प्रत्येत रिक्त स्थान के अंदर नं. प्रदान किया जाना है या अन्य प्लाट में संयोजित किया जाना है तो उसे निर्देश के द्वारा स्पष्ट रूप से. दर्शाना तथा संशोधन सुची में भी लिखना आवश्यक है ।

उक्त तथ्यों को दर्शाते हुए आपको अवगत कराया जाता है कि जिला शिवपुरी ग्रामों के भौतिक सत्यापन कार्य संबंधित ग्राम पटवारी द्वारा मध्यप्रदेश शासन की मार्ग दर्शिका के अनुसार नहीं किया गया है एवं इस कार्यालय में उक्त ग्रामों के नक्शे अधीक्षक भू-अभिलेख कार्यालय शिवपुरी द्वारा इस कार्यालय में पटवारी द्वारा भेज दिए गए हैं संशोधन हेतु वापस पटवारी द्वारा भेजी जा रही है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त ग्रामों की शीटो का भौतिक सत्यापन भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदान किये गए निर्देशों के अनुरूप करने के पश्चात तथा आबादी सीमा का सत्यापन एवं निर्धारण कर संशोधन सूची अनुसार संशोधन करने के पश्चात ही इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि संपति की सत्य जानकारी नक्शे पर अंकित कर अंतिम नक्शे का प्रकाशन किया जा सके तथा भविष्य में भी प्रक्रिया का पालन किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

सलग्न : नक्शों की PDF

8/12

(आर.डी.शाह)
अधिकारी सर्वेक्षक,
तकनीकी अधिकारी
कृते निदेशक

प्रतिलिपि - आयुक्त भू-अभिलेख, भोपाल,मध्यप्रदेश को सूचनार्थ ।

554
13-12-22

RI Anuradha
13.12.22

Scanned with CamScanner

स्वामित्व योजनांतर्गत चेकलिस्ट

1. सर्वप्रथम SOI से प्राप्त नक्शा शीट में ग्राम का नाम, L.G.D CODE, तहसील का नाम,जिला का नाम चेक कर ले। L.G.D CODE सारा ऐप में भी चेक कर लेना है तदुपरांत अग्रिम कार्यवाही करना है।
2. नक्शे में अंकित शीट संख्या-अनुसार चेक करें कि शीट प्राप्त हुई है अथवा नहीं।
3. प्रारुप नक्शे में बनी आबादी की आकृति का मिलान पटवारी अभिलेख नक्शा शीट से किया जाना है। कि वही आकृति बनी हुई है कि नही।
4. प्रारुप नक्शे पर बनी हुई आबादी 1/500 स्केल पर है अथवा नहीं , इसके लिए प्रारुप नक्शे पर लाल डोरा का measurement का अभिलेख नक्शा शीट मे 8 गुना करते हुए मापकर जाँच कर ले।
5. लाल डोरा लाल रंग का होगा जो कि Referance के लिये है आबादी की बास्तविक चिन्हांकन नहीं है।
6. प्रारुप नक्शे में हरे रंग की लाईन चूना लाईन को दर्शाता है।जैसा की प्लॉट क्रमांक 79 की सीमा हरे रंग से ,लाल स्याही से निर्माण आकृति तथा सफेद एरिया, प्लॉट क्र 79 का ही भाग है।

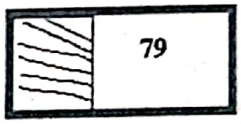

7. जिस भी प्लॉट मे मोके के अनुसार एक ही प्लॉट मे दो अलग-अलग व्यक्तियों के हिस्सा आ रहा हो तो उनका विभाजन होगा।

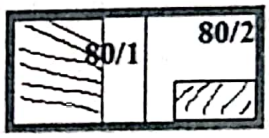

8. प्रारुप नक्शे में पीला रंग से निर्मित क्षेत्र रास्ते को दर्शाता है।
9. प्रारुप नक्शे में रेड बोक्स में अंकित आडी रेखाऐं constracted area को प्रदर्शित करता है।
10. प्रारुप नक्शे में आबादी के दो या दो से अधिक नम्बर, जो आपस मे जिस स्थान पर मिले हुये हैं,उस आबादी की बाहरी सीमा पर स्थित प्लाट, उस आबादी सर्वे नम्बर का भाग होगा जिसमे प्लाट का रकवा/क्षेत्र अधिक होगा तथा प्लॉट का विभाजन भी करना है।
11. प्रारूप नक्शे में आबादी की बॉर्डर लाइन बनानी है जिसमें प्रारूप नक्शा एवं पटवारी नक्शा अभिलेख दोनों मे कोई ऐसा स्थायी संरचना जैसे कुंआ इमारत या अन्य कोई बिन्दु तलाश कर देखते हैं, यदि उपलब्ध होता है तो उस बिन्दु से आबादी लाइन लाल डोरा को मापते हैं फिर पटवारी नक्शा अभिलेख मे भी मापते है कोई अंतर मिलता है तो जितना और जिस तरफ अंतर होता है उस तरफ एक पोइंट बनाते हैं इसको अन्य स्थायी संरचनाओ या बिन्दुओं से भी मिलाकर Point प्रारूप नक्शे पर चाप लगाकर बनाते हैं जिससे हमें प्रारूप नक्शे पर लाल डोरा कितना shift होगा का मालूम कर उसको adjust कर लेते है। तत्पश्चात आबादी की बार्डर लाइन को सभी मापे गये points को मिलाकर प्रारूप नक्शे पर draw कर लेते हैं जो कलर इस लाइन के लिये देते हैं वो प्रतिवेदन मे स्पष्ट लिख देतें हैं।
12. यदि किसी प्रारूप नक्शे में यदि लाल डोरा लाइन नही है तो ऐसी स्थिति में पटवारी नक्शा अभिलेख में बनी हुई आबादी जो 1/4000 स्केल पर है को ट्रेस पेपर पर 1/500 स्केल पर तैयार

Scanned with CamScanner

कर लेते हैं जिसकी विधि यह है कि कम्प्यूटर स्क्रीन पर पटवारी नक्शा शीट की आबादी को किसी ट्रेस पेपर पर बनाकर उसको कम्प्यूटर भू-अभिलेख साईट की भू-नक्शा की साईट पर जाकर ऑवरलेप कर देखते है कि परफेक्ट किस स्केल पर होता है जिस स्केल पर परफेक्ट आवरलेप होता है उस स्केल में 8 का भाग लगाकर एक संख्या प्राप्त करते हैं और कम्प्यूटर भू-नक्शा पर सेट कर उस पर ट्रेसपेपर पर ट्रेस कर लेते हैं। अब इस ट्रेस पेपर की लाइनो को 1/4000 पर बदलकर पटवारी नक्शा अभिलेख से मिलाकर चेक कर लेते हैं कि मिलान होता है कि नही, मिलान होने पर इस ट्रेस पेपर को प्रारूप नक्शा पर रखकर इसकी आबादी की बार्डर लाइन को प्रारूप नक्शे पर ड्रा कर लेते हैं।

13. प्रारूप नक्शे पर पर बनाई गयी नई बॉर्डर लाईन से लगे ऐसे सभी नंबरो को देखते चलते हैं जिस पर कोई भी क्रंमांक नही दिया गया है को अल्फाबेटिक नंबर दे देतें हैं।
14. ध्यान रखा जाना है कि आबादी की बाहरी लाइन तैयार करते समय किसी निजी खसरा नंबरान के रकवे का हिस्सा आबादी भूमि में शामिल नही करना है।
15. प्रारूप नक्शे पर बाईर लाइन पर कुछ नंबरो मे हो सकता है कि कोई निर्मित आकृति या किसी पार्सल पर से बार्डर लाइन क्रॉस करती हो ऐसी स्थिति में उस नंबर का बटा करते हुए आबादी की बार्डर लाइन से बाहर वाली आकृति को क्रॉस कर उसको उस नंबर का ब्टा क्रमांक देते हुए विलोपन के लिये प्रतिवेदन में लिखा जाता है।
16. प्रारूप नक्शे पर ऐसे सभी शासकीय नंबर जो आपस में मिले हुए हैं को = के सिंबोल से मिला देते है जिससे जब फाइनल नक्शा शीट आये तो यह सभी शासकीय नंबरो का एक ही नंबर बन कर आयें और आरओआर एंट्री के समय इसको मध्यप्रदेश शासन लिखा जाना है।
17. शासकीय नंबरो से लगे निजी स्वामित्व के नंबरो के निर्मित क्षेत्रों को उनसे लगे खाली स्थान को बाडंड्री बनाते हुए स्पष्ट करे देतें हैं और उनसे लगे शासकीय नंबरो को यदि आवश्यकता हुई तो नंबर न होने की स्थिति में उनको नंबर दे देते हैं।
18. आबादी मे आने वाला ऐसा क्षेत्र, जो आबादी लाईन के बोर्डर पर है जिनको SOI के द्वॉरा कोई भी नंबर नहीं दिया गया है, उस क्षेत्र को बोर्डर लाईन बनाते हुऐ अल्फाबेटिक नंबर देना है।
19. प्रारूप नक्शे पर सभी संशोधन पेन से किये जाने है जिस कलर के पेन से किये गये हैं उसका विवरण प्रतिवेदन में लिखना है।
20. आबादी के अंदर के किसी भी नंबर को विलोपित नही करना हे बाहर के नंबर को विलोपित करना है।
21. आबादी के नंबरो को मर्ज करने के लिये (=) का प्रयोग किया जाना है।
22. प्लॉट के समीप स्थित खाली भूमि पर यदि उसी व्यक्ति का कब्जा है तभी उस खाली भूमि को उस प्लाट से मिलाना है।
23. स्वामित्व योजना अंतर्गत आबादी भूमि में स्थित प्लॉट कृषि के लिये नही है यदि किसी व्यक्ति दवारा किसी प्लॉट मे खेती की जा रही है तो उसे उस खेती के प्लॉट के लिये स्वामित्व का लाभ नही दिया जावेगा।

Scanned with CamScanner

24. स्वामित्व योजना अंतर्गत आबादी भूमि में स्थित 3×3 वर्गमीटर से कम का प्लाट को नही लिया जाना है या होने पर विलोपित किया जाना है।
25. एसओआई को भेजे जाने वाला प्रतिवेदन प्लाट क्रमांक 1 से अंतिम प्लाट तक का क्रमानुसार बनाया जाना है जिस प्लाट में कोई परिवर्तन या संशोधन नही है उसके लिए कोई परिवर्तन नही लिखा जाना है।
26. प्रत्येक निर्मित प्लाट या घर के लिए एक रास्ता होना आवश्यक है नया रास्ता बनाया जाने पर उसको उससे संबंधित नंबर का बटा नंबर दिया जाना है।
27. संशोधित प्रारूप नक्शे की पीडीएफ कॉपी मोबाइल मे बनाकर रख लें जिससे एसओआइ के दवारा संपर्क किये जाने पर उनको बताया जा सकता है।
28. संशोधित प्रारूप नक्शे पर पटवारी राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार के नाम सहित हस्ताक्षर अनिवार्य है । पटवारी का मोबाइल नंबर भी लिखा जाना है।
29. प्रारूप नक्शे पर आबादी भूमि के अंदर कोई भी आकृति बिना नंबर आवंटित किये नही छोडी जानी है क्योकि ऐसा किये जाने पर यदि रकवा 1 प्रतिशत से कम या अधिक होने पर ROR ENTRY फाइनल नही हो पायेगी और नक्शा पुनः संशोधित किया जाना होगा।
30. संशोधित किये हुए प्रारूप नक्शे को SOI में जमा किये जाने के समय पटवारी दवारा प्रमाणीकरण दिया जाना होगा जिसमें उल्लेख होगा कि संशोधित की गई प्रविष्टियां सही है मौके अनुसार जांच कर ली गई है।

Scanned with CamScanner